प्रेस नोट दिनांक 03-04-2021

एक अभियुक्त एक अदद देशी तमंचा व एक जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम एंव अपराधियों की गिरफ्तारी" के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्री सुरेन्द्र चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के पर्यवेक्षण में व श्री रणधीर कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में उ0नि0 अजय कुमार सिंह यादव मय हमराह हे0का0 सतीश तिवारी जो रात्रिगस्त में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध तमन्चा व कारतूस लिए हुए ग्राम सोहना से बभनी मार्ग पर जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुचंकर अभियुक्त मुसीबत अली उर्फ चिनकू पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम मुबारकपुर फलफली थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर को दिनांक 02.04.2021 समय 21.45 बजे रात्रि को एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 42/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मुसीबत अली उर्फ चिनकू पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम मुबारकपुर फलफली थाना त्रिलोकपुर, सिद्धार्थनगर ।

बरामदगी-

01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 अजय कुमार सिंह यादव थाना त्रिलोकपुर जनपद सि0नगर

2. हे0का0 सतीश तिवारी थाना त्रिलोकपुर जनपद सि0नगर

प्रेस नोट दिनांक 03.04.2021

600 शीशी नेपाली नाजायाज शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, व प्रभारी निरीक्षक थाना शोहरतगढ़, सि0नगर के कुशल निर्देशन में अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.04.2021 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में उ.नि. सूर्यप्रकाश सिंह चौकी प्रभारी कोटिया मय एस.एस.बी.टीम महादेव बुजुर्ग 50 वी वाहिनी द्वारा बसन्तपुर नहर पुलिया के पास से 02 व्यक्तियों को 600 शीशी नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर मु.अ.सं. 060/21 धारा 60/63 Ex Act. पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. शक्तिपाल पुत्र हरिश्चन्द्र ग्राम सेमरी खान कोट थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर
2. कितारे पुत्र भिखारी ग्राम सेमरी खान कोट थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी-

एक सफेद बोलेरो नं. UP 55 N 2941 में 07 बोरो में कागज के गत्तो में 600 शीशी नेपाली शराब बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ.नि. सूर्यप्रकाश सिंह चौकी प्रभारी कोटिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ.नि. श्री वरुण कुमार मय एसएसबी टीम महादेव बुजुर्ग 50 वी वाहिनी
3. का. संदीप यादव चौकी कोटिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 03.04.2021

प्रतिबंधित वन्य प्राणी "दोमुंहा सर्प के साथ चार अभियुक्त गिरफ्तार।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के उन्मूलन के संबंध में चलाए गए अभियान के अंतर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण, श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन और श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ के कुशल नेतृत्व में दिनाँक: 02.04.2021 को सायंकाल 20.10 बजे, उप निरीक्षक श्री वीरेंद्र कुमार कुँवर, प्रभारी चौकी कठेला, थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हमराह हे.का. सुरेश वरुण, हे.का. रामस्वरूप, हे.का. अवधेश, का. अखिलेश यादव, का. रामसेवक व का. पप्पू यादव के साथ संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग के दौरान चार अभियुक्तों 1. कृष्णारक्षा उर्फ डब्ल्यू पुत्र विश्वनाथ निवासी आजादनगर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर, 2. अरविंद कुमार पुत्र श्रीराम निवासी हुमायूंपुर मकान नंबर 448, रिफ्यूजी कॉलोनी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, 3. विजय कुमार पुत्र ध्रुव नारायण प्रसाद निवासी जंगल डुमरी नंबर 1, थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर, 4. मुकुल कुमार पांडे पुत्र प्रभात कुमार पांडे निवासी अलहदादपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को थाना क्षेत्रान्तर्गत देवियापुर तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से प्रतिबंधित वन्य जीव दोमुंहा सर्प (two headed snake) एक अदद, (लंबाई करीब 47 इंच) और एक कार UP53-CN-3131 बरामद हुआ। पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि इस प्रकार के सर्पों को लोगों में भ्रांति फैलाकर कि इस प्रकार के सर्पो को आसपास रखने से धनधान्य की संपन्नता और विपत्तियों के निवारण की शक्ति में वृद्धि होती है तथा इनसे कैंसर जैसी बीमारी का उपचार भी किया जाता है, छल करते हुए महंगे से महंगे दामों पर विक्रय किया जाता है। इस सर्प की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित कीमत करीब साठ लाख रुपये बताई जा रही है। चूंकि इस प्रकार के सर्प वन्य जंतु हैं और वह विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित वन्य जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, इसलिए नियमानुसार वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण को बुलवाकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उपरोक्त मामले में थाना स्थानीय पर मु.अप.संख्या: 67/21 धारा 9,27,51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा 420 IPC पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता विवरण-

1. कृष्णारक्षा उर्फ डब्ल्यू पुत्र विश्वनाथ निवासी आजादनगर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर,
2. अरविंद कुमार पुत्र श्रीराम निवासी हुमायूंपुर मकान नंबर 448, रिफ्यूजी कॉलोनी थाना गोरखनाथ गोरखपुर,
3. विजय कुमार पुत्र ध्रुव नारायण प्रसाद निवासी जंगल डुमरी नंबर 1, थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर,
4. मुकुल कुमार पांडे पुत्र प्रभात कुमार पांडे निवासी अलहदादपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

प्रेस नोट दिनाँकः- 03.04.2020
02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व श्री राम अशीष यादव, थानाध्यक्ष लोटन के नेतृत्व में आज दिनांक 03.04.2020 को मु.अ.सं.46/2021 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम 1986 मे वांछित अभियुक्त 1. गुरुदास पुत्र बद्री निवासी भरमी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर 2. सनउवर पुत्र इसहाक निवासी भरमी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर को समय करीब 11.00 बजे ठोठरी तिराहे के पास थाना लोटन से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. गुरुदास पुत्र बद्री साकिन भरमी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
2. सनउवर पुत्र इसहाक साकिन भरमी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

01. SHO राम अशीष यादव थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
02. का० रितेश सिंह थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
03. का0 संदीप यादव थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।